III/निगरानी/सतना/भू-रा/2017/2609

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. आर–   /पी.बी.आर./2016–2017

नत्थू प्रसाद स्वीपर आयु– 65 वर्ष, निवासी– ग्राम अमरपाटन, वार्ड क्र. 5 तहसील अमरपाटन, जिला– सतना (म.प्र.) ....प्रार्थी/आवेदक/निगरानीकर्ता

श्री आर.एल. सेन द्वारा आज दि. 11-8-17 को प्रस्तुत

बनाम

1. शांतिबाई स्वीपर पत्नी लक्ष्मीप्रसाद स्वीपर, आयु– 50 वर्ष,
2. विनोद स्वीपर पुत्र श्री लक्ष्मीप्रसाद स्वीपर, आयु– 25 वर्ष, निवासीगण क्र. 1 लगायत 2– वार्ड क्र. 5 ग्राम अमरपाटन, तहसील अमरपाटन, जिला– सतना (म.प्र.)
3. म.प्र. शासन ......प्रतिप्रार्थी/अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

प्रथम निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.06.2017 जो प्रकरण क्रमांक 231अ–74/2016–17 में माननीय अधीनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार अमरपाटन जिला सतना द्वारा पारित किया गया।

प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

(अ) यहकि, प्रार्थी/आवेदक द्वारा माननीय अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र बावत् आबादी चैक की आराजी नंबर 128/1 रकवा 32 × 60 = 1920 वर्गफीट में बने बाउन्ड्री वॉल पर अनावेदक क्र. 1 लगायत 2 द्वारा अवैधानिक रूप से दीवार निर्माण कर रोक लगाये जाने हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया, कि आवेदक एवं अनावेदक क्र. 1 व 2 ग्राम अमरपाटन वार्ड क्र. 5 तहसील अमरपाटन जिला सतना (म.प्र.) के निवासी होकर आवेदक नत्थ प्रसाद स्वीपर द्वारा नगर पंचायत चैक की आराजी नंबर 128/1 जो अमरपाटन वार्ड क्र. 5 में स्थित है। में 32 × 60 वर्गफीट पर बाउन्ड्री वॉल बनाया है जिसमें आवेदक का अरसापूर्व से कब्जा दखल है। किन्तु अनावेदक बलपूर्वक उक्त बाउन्ड्री वॉल के ऊपर

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / सतना / भूरा / 2017 / 2609

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
10-11-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित। पैनल अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार अमर पाटन जिला सतना के प्रकरण कमांक 231 / 2016-17 / अ-74 में पारित आदेश दिनांक 13.6.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- उभय पक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। निगरानी में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनावेदकगण का वर्ष 1995 से लगायत आज तक उक्त आराजी के अंश भाग पर कब्जा है। उसी समय से निरंतर चला आ रहा है। उनके विरूद्व पटवारी द्वारा कभी भी अतिकमण की शिकायत नहीं की है। ऐसी स्थिति में नगर परिषद अमरपाटन एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन 248 का व स्थगन आदेश दिनांक 6.4.17 का आदेश निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। उनका आदेश दिनांक 13.06.2017 विधि प्रकिया से उचित प्रतीत	

होता है।

3— उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील अमरपाटन जिला सतना के प्रकरण कमांक 231/2016—17 /अ—74 में पारित आदेश दिनांक 1367.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य